

छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड

(छत्तीसगढ़ शासन का एक उपक्रम) (छ. रा. विद्युत मण्डल की उत्तरवर्ती कम्पनी)



CIN- U40108CT2003SGC015822

GST NO. 22AADCC6047K1ZR

E-mail- ceonm.balod@cspc.co.in

Web.- www.cspc.co.in

Telephone- 07749-222072

क्रमांक 010-35/स्था./ 10851

गोपनीय/पंजीकृत डाक
बालोद/दिनांक 19 DEC 2025

प्रति,

(1) श्री राकेश कुमार साहू
आत्मज- स्व० श्री तेज राम साहू
परिचारक श्रेणी-दो (ला०)
वार्ड नं० 08, एकता नगर, भिलाई-3,
देवांगन पान पैलेस के पास
जिला- दुर्ग (छ०ग०), पिन नं० - 491001
मोबाईल नं०- 7587401731

(2) वार्ड नं० 10, गौरा चौरा, शंकर नगर, दुर्ग
जिला- दुर्ग (छ०ग०), पिन नं० - 491001

विषय :- कर्तव्य से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के संबंध में ।

संदर्भ :- 1/ कनिष्ठ अभियंता डौण्डी का पत्र क्रमांक 200 दिनांक 04.10.2024 ।
2/ सहायक अभियंता, उपसंभाग बालोद का पत्र क्र० 1151 दिनांक 19.03.2025 एवं 33 दिनांक 21.04.2025 ।
3/ इस कार्यालय का पत्र क्रमांक 6404 दिनांक 08.10.24, 7663 दिनांक 13.11.24, 8273 दिनांक 09.12.24, 3826 दिनांक 02.06.25, 5095 दिनांक 18.06.25, एवं 8055 दिनांक 03.09.2025 ।

—0—

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आप दिनांक 27.03.2025 से बगैर कोई पूर्व सूचना एवं लिखित जानकारी के अपने कर्तव्य से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित हैं । उक्त संदर्भित पत्रों के माध्यम से कार्य पर उपस्थित होने हेतु पत्र जारी किया गया है, के उपरान्त भी आज दिनांक तक कंपनी के कर्तव्य पर उपस्थित नहीं हुये हैं । जो कि कर्तव्य के प्रति घोर लापरवाही/उदासीनता को प्रकट करता है । उक्त कर्तव्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 नियम 1(3) (नियम 7) के विपरीत है ।

अतः आपको इस पत्र प्रकाशन/सूचना के माध्यम से निर्देशित किया जाता है कि आप अनुपस्थिति अवधि का समुचित कारण एवं दस्तावेज के साथ इस सूचना प्रकाशन की तिथि से 07 दिनों के भीतर उपस्थित होवें, अन्यथा यह माना जावेगा कि आप कंपनी में सेवा करने के इच्छुक नहीं हैं, एवं आपके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही कर सेवा से पृथक (बर्खास्त) करने की कार्यवाही की जायेगी, जिसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे ।

(एस०के० बण्ड)

कर्म०क्र०-91515493

कार्यपालन अभियंता,

(संचारण/संघारण) संभाग,

छ.ग. स्टेट पॉ.डि.कं.लि., बालोद